

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 (भाद्रपद 4, 1942)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)

विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) के वित्तीय ज्ञापन का

शुद्धि पत्र

सोमवार, दिनांक 24 अगस्त, 2020 को वितरित एवं बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को सभा में पुरःस्थपित "छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020)" के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन में अंकित शब्द एवं अंक "रूपये 18,33,00000.00 (रूपये अट्ठारह करोड़ तैंतीस लाख) के स्थान पर शब्द एवं अंक "रूपये 14,23,00000.00 (रूपये चौदह करोड़ तेईस लाख) शुद्ध कर पढ़ा जाए।

चन्द्र शेखर गंगराड़े  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा